भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

विधि कार्य विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1810

जिसका उत्तर सोमवार, 21 सितम्बर, 2020 को दिया जाना है

जनहित याचिका

1810. श्री जी. सेल्वम :

श्री धनुष एम. कुमार :

श्री सी.एन. अन्नादुरई :

श्री गजानन कीर्तिकर :

श्री गौतम सिगामणि पोन :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **:**

(क) मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए दायर की गई जनहित याचिकाओं (पीआईएल) का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के संबंध में दायर की गई पीआईएल को कोई महत्व दिया जाता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों में दायर की गई जनहित याचिकाओं की संख्या कितनी है और कितने मामलों का निपटारा किया गया है और इनके लम्बित रहने के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या सरकार को जनहित याचिका की आड़ में बड़ी संख्या में दायर किये जा रहे अनावश्यक मुकदमों के सम्बन्ध में जानकारी है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस प्रकार के अनावश्यक मुकदमों की जांच करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) से (ङ) : सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

****